

पटना में दिनांक-27 अक्टूबर, 2016 वृहस्पतिवार को अपराह्न 6:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

अनु.जाति एवं अनु.जनजाति कल्याण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | अनु.जाति एवं अनु.जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी सम्बर्ग के अधीन जिला अनु.जाति एवं अनु.जनजाति कल्याण पदाधिकारी (वेतन बैण्ड-9300-34800/-+ग्रेड पे-5400) के पद से प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण (वेतन बैण्ड-15600-39100/-+ग्रेड पे-6600) के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पर्यटन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर पटना में तीन स्थानों पर अस्थायी टेंट सिटी निर्माण हेतु 45,22,00,000/- (पैंतालीस करोड़ बाईस लाख) रूपये तथा अस्थायी टेन्ट सिटी हेतु भूमि के समतलीकरण एवं किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु 3,32,00,000/- (तीन करोड़ बत्तीस लाख) रूपये कुल राशि 48,54,00,000/- (अड़तालिस करोड़ चौवन लाख) रूपये मात्र योजना की स्वीकृति प्रदान करने एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त राशि बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की स्वीकृति। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | भारत सरकार द्वारा दिनांक-01.05.2014 को अधिसूचित "फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम-2014" के संपूर्ण देश (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) में प्रभावी होने के कारण "बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2012" को निरस्त करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | बिहार उत्पाद सेवा के सहायक आयुक्त उत्पाद, वेतनमान PB-2 (9300-34800)+ग्रेड पे-5400/-रु० से उपायुक्त उत्पाद, वेतनमान PB-3 (15600-39100)+ग्रेड पे-7600/-रु० एवं निरीक्षक उत्पाद, वेतनमान PB-2 (9300-34800)+ग्रेड पे-4200/- रु० से अधीक्षक उत्पाद, वेतनमान PB-2 (9300-34800)+ग्रेड पे- 4800/-रु० के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

वित्त विभाग

6. वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी को वरीय लेखा पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पद पे बैण्ड 15600-39100/-+ग्रेड पे-6600/- से उपायुक्त लेखा कोटि/समकक्ष पद पे बैण्ड-15600-39100/-+ग्रेड पे-7600/-में प्रोन्नति देने के संबंध में। 6. स्वीकृत।

वित्त विभाग

7. बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में। 7. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

8. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना से प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान मद में 1000.00 लाख (दस करोड़ मात्र) रूपये एवं क्षतिपूर्ति अनुदान मद में 45000.00 लाख (चार अरब पचास करोड़ मात्र) रूपये के व्यय की स्वीकृति तथा प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप आवश्यकतानुसार बीमा कंपनी की माँग के आलोक में राशि की निकासी के संबंध में। 8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) नियमावली, 1983 के विनियम-9 एवं 10 (2) में संशोधन के संबंध में। 9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत ₹ 220.51 करोड़ की योजना को पुनरीक्षित करते हुए ₹ 331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख) के योजना की स्वीकृति तथा बिहार सरकार की गारंटी के विरुद्ध हुडको से ऋण प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन हुडको से कराये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव। 10. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के लिए प्रस्तुत संलेख के कंडिका-5 एवं 6 में शेयर होल्डर एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शीर्ष में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के स्थान पर "प्रतिनिधि नगर विकास एवं आवास विभाग" किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति। 11. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

12. "पटना मास्टर प्लान, 2031" की स्वीकृति का प्रस्ताव। 12. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

13. विभाग द्वारा गैर योजना मद से संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में संविदा/नियत मानदेय पर नियोजित व्याख्याता/शिक्षक की वित्तीय वर्ष 2016-17 में (दिनांक-07.08.2016 से 11 माह) की अवधि हेतु अवधि विस्तार/पुनर्नियोजन का प्रस्ताव। 13. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

14. पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधायन एवं अनुदान के रूप में दी जाने वाली कुल राशि ₹ 2162.32 करोड़ (इक्कीस अरब बासठ करोड़ बत्तीस लाख रुपये) मात्र की पचास प्रतिशत राशि ₹ 1081.16 करोड़ (दस अरब इक्कीसी करोड़ सोलह लाख रुपये) मात्र की राशि प्रथम किस्त के रूप में राज्य में कार्यरत 38 जिला परिषदों, 534 पंचायत समितियों एवं 8391 ग्राम पंचायतों के बीच सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने की स्वीकृति के संबंध में। 14. स्वीकृत।

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

15. बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में वित्तीय शक्ति प्रदान करने के संबंध में। 15. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

16. "बिहार ग्रामीण कार्य विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली-2016 का गठन। 16. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

17. षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 184वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। 17. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

18. मॉडल विधायक आवासन भवन परियोजना अंतर्गत माननीय विधान सभा सदस्यों एवं माननीय विधान परिषद् सदस्यों के आवासीय परिसरों के लिए अलग-अलग निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि एवं अन्य बकाया भुगतान हेतु राज्यादेश संख्या-38 दिनांक-05.10.2016 द्वारा स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु उक्त राज्यादेश की कंडिका 12 एवं 13 में अंकित शर्त "विश्वविद्यालयों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति वित्तीय वर्ष 2015-16 तक का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार से सामंजन होने के पश्चात की जा सकेगी" को शिथिल/संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि में से कुल 1,95,32,53,000/- (एक अरब पन्चान्वे करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार रुपये) मात्र को आन्तरिक समंजन हेतु प्रत्यर्पित करते हुए राज्य योजना के अन्य शीर्षों में उपबंधित कराये जाने हेतु समतुल्य राशि (रुपये 1,95,32,53,000/-) बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति।

20. स्वीकृत।